

3.4.24

पत्रावली पेश हुई। प्राची के अधिवक्ता केलाशपुरी उपस्थित। अधिवक्ता प्राची ने कथन किया कि प्राची को प्रकरण से संबंधित अवार्ड राशि प्राप्त हो चुकी है, एवं पत्रावली में अन्य किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अधिवक्ता प्राची ने पत्रावली को इसी अंश नहीं चलाना चाहता है व पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

प्राची के अधिवक्ता को सुना एवं कथन पर मनन किया कि प्राची को प्रकरण से संबंधित राशि प्राप्त हो चुकी है एवं किसी भी प्रकार की सहायता नहीं चाहिए।

अतः पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है एवं पत्रावली को नंबर से कम हो।

  
जिला जलकटर  
बालोतरा